319
5/10/13

5
13007

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर, लखनऊ।
वाद सं0- 634/12-13, अन्तर्गत धारा-143 ZALRAct
डा0 महेन्द्र प्रताप स्टू०ऐजूकेशनल सोसायटी द्वारा अध्यक्ष बनाम उ0प्र0 सरकार
ग्राम- उत्तरधौना, परगना- [illegible] व जिला- लखनऊ।
निर्णीत दिनांक- 05/08/13
(1) प्रार्थना पत्र खारिज/निरस्त किया गया।
(2) नकल सत्यप्रति आदेश दिनांक- 05/08/13 संलग्न।

न्यायालय उप जिलाधिकारी / मजिस्ट्रेट (सदर) ★ लखनऊ ★

3/9
4/10/13

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहा0कले0 (प्र0श्रे0), सदर, लखनऊ।

वाद संख्या : 634/12–13
डा0 राजेन्द्र प्रताप एजूकेशन सोसायटी
बनाम उ0प्र0 सरकार
धारा : 143 जेड0ए0एल0आर0 एक्ट
ग्राम : उत्तरधौना, परगना,
तहसील व जिला लखनऊ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही डा0 राजेन्द्र प्रताप एजूकेशन सोसायटी द्वारा अध्यक्ष श्रीमती ममता श्रीवास्तव पत्नी विजय कुमार श्रीवास्तव निवासिनी एम0एम0–101, से0–डी, अलीगंज, जिला लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 143 जेड0ए0एल0आर0 एक्ट के अर्न्तगत प्रारम्भ की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अभिलिखित है कि प्रार्थी भूमि खसरा संख्या 22 स रकबा 0.1991 हे0, 23 रकबा 0.139 हे0 व 24 स रकबा 0.0413 हे0 कुल रकबा 0.3794 हे0 स्थित ग्राम उत्तरधौना, परगना, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल, काबिज व संक्रमणीय भूमिधर है। उक्त भूमि पर संस्था द्वारा संचालित सिटी कालेज चल रहा है तथा चारो तरु टावासीय कालोनियां विकसित हो चुकी ह। अन्त में प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि को गैर कृषिक घोषित किये जाने की याचना की गई।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, सदर, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 08.07.2013 के अनुसार प्रश्नगत गाटा संख्या 22 स रकबा 1.227 हे0 में से रकबा 0.1991 हे0, 23 रकबा 0.139 हे0 व 24 स रकबा 0.124 हे0 में से रकबा 0.0413 हे0 कुल तीन किता कुल रकबा 0.3794 हे0 आवेदक के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। स्थल पर सिटी कालेज संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसका भवन, पार्किंग तथा प्रांगण एवं खेल का मैदान बना है। उपरोक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी का कार्य नही होता है। भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की नही है। नियम 135 (6) के अनुसार निर्मित क्षेत्रफल की पैमाइश की गई है एवं नियमानुसार शुल्क जमा किया गया है। अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित अग्रसारित है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर लखनऊ विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी की गयी जो दिनांक 17.07.2013 को वाद तामील पत्रावली पर संलग्न है। किसी प्रकार की कोई आपत्ति पत्रावली पर प्रस्तुत नही हुई।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार, सदर की आख्या का विधिवत अवलोकन व परिशीलन किया गया। जिसके अवलोकन से यह पाया है कि प्रश्नगत गाटा संख्याओं पर सिटी कालेज संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसका भवन, पार्किंग तथा प्रांगण एवं खेल का मैदान बना है। उपरोक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी का कार्य नही होता है। प्रार्थी द्वारा वादीय भूमि का छाया चित्र भी पत्रावली पर संलग्न किया गया है। प्रार्थी द्वारा वादीय भूमि के सहखातेदार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि यदि प्रार्थी के हिस्से वाली वादीय भूमि को धारा 143 के अर्न्तगत आकृषिक घोषित कर दिया जाता है तो शपथी को आपत्ति न होगी। ऐसी दशा में मौके पर उक्त

319
4/10/13

भूमि का उपयोग गैर कृषिक होने के कारण अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नही है।

आदेश

अतः प्रश्नगत भूमि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार, सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 08.07.2013 की पुष्टि की जाती है। तदनुसार ग्राम उत्तरधौना, परगना, तहसील व जिला लखनऊ की भूमि गाटा संख्या 22 रकबा 1.227 हे0 में से रकबा 0.1991 हे0, 23 रकबा 0.139 हे0 व 24 स0मि0 रकबा 0.124 हे0 में से रकबा 0.0413 हे0 कुल तीन किता कुल रकबा 0.3794 हे0 भूमि को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नही होगा। इस भूमि का उपयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना – 2021 के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा – 144 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत तहसीलदार तत्काल अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगें। अभिलेखों में अमल–दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार, सदर, लखनऊ को व आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, लखनऊ को भेजी जाए। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

05/8/13
(धनन्जय शुक्ला)
उप जिलाधिकारी / सहायक कलेक्टर (प्र0श्रे0),
सदर, लखनऊ

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 05/08/2013 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

05/8/13
(धनन्जय शुक्ला)
उप जिलाधिकारी / सहायक कलेक्टर (प्र0श्रे0),
सदर, लखनऊ

न्यायालय उप जिलाधिकारी / मजिस्ट्रेट * लखनऊ * (सदर)

नकल आवेदन-पत्र देने की तिथि: 04/10/13
नकल तैयार करने की तिथि: 04/10/13
नकल जारी करने की तिथि: 04/10/13
प्रतिलिपि शुल्क: 13.00/-
शब्दों की संख्या: 200 शब्द
प्रतिलिपि कर्ता:
तुलनाकर्ता:
तिथि: 04/10/13

प्रमाणित प्रतिलिपि
4/10/2013
उप जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट
(सदर) लखनऊ

899
15/01/2013

न्यायालय उप जिलाधिकारी / सहा0कले0(प्र0श्रे0), सदर, लखनऊ।

वाद संख्या : 110/12–13
राम गोपाल पुत्र कढ़िले राम
बनाम उ0प्र0 सरकार
धारा : 143 जेड0ए0एल0आर0 एक्ट
ग्राम : उत्तरधौना, परगना
तहसील व जिला लखनऊ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही राम गोपाल पुत्र कढ़िले राम निवासी रूपपुर, लोनी कटरा, खदरा, लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 जेड0ए0एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अभिलिखित है कि प्रार्थी भूमि खसरा सं. 25 रकबा 03770 वर्गमीटर स्थित ग्राम उत्तरधौना, परगना, तहसील व जिला लखनऊ की मालिक, कामिल, काबिज व संक्रमणीय भूमिधर है। उक्त भूमि को पूर्णतः आवासीय प्रयोलजन हेतु प्रयोग कर रहा है। जिसमें प्रार्थी/वादी का कमरा बना हुआ है उक्त भूमि में चारों तरफ बाउन्ड्री वाल, सड़के आदि भी बनी है। अन्त में प्रार्थिनी द्वारा उपरोक्त भूमि को गैर कृषिक घोषित किये जाने की याचना की गई।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, सदर, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 01.10.2012 के अनुसार खसरा सं. 25 रकबा 03770 वर्गमीटर महाविद्यालय के नाम दर्ज है। उक्त भूमि कृषि कार्य, पशु पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण आदि नहीं किया जाता है। नियम 135(6) के अनुसार निर्मित क्षेत्रफल की पैमाइष की गई है एवं नियमानुसार शुल्क जमा किया गया है। अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित अग्रसारित है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर ल0वि0प्रा0 को नोटिस जारी की गयी। जो वाद तामील पत्रावली पर संलग्न है। किसी प्रकार की कोई आपत्ति पत्रावली पर प्रस्तुत नही हुई।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसील, सदर की आख्या का विधिवत अवलोकन व परिशीलन किया गया। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कृषि कार्य, पशु पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण आदि नहीं किया जाता है। प्रार्थी द्वारा वादीय भूमि पर हुए निर्माण का छाया चित्र भी पत्रावली पर संलग्न किया गया है। ऐसी दशा में मौके

8११
15/01/2013

पर उक्त भूमि का उपयोग गैर कृषिक होने के कारण अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नही है।

आदेश

अतः प्रश्नगत भूमि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार, सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 01.10.2012 की पुष्टि की जाती है। तदनुसार ग्राम उत्तरधौना, परगना, तहसील व जिला लखनऊ की भूमि खसरा सं. 25 रकबा 03770 वर्गमीटर को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का उपयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना–2021 के अनुसार ही अनुमन्य होगा। अभिलेखों में अमल–दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार, सदर, लखनऊ को व आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, लखनऊ को भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(अरुण कुमार)
उप जिलाधिकारी / सहायक कलेक्टर (प्र0श्रे0),
सदर, लखनऊ

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 12/10/12 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उद्‌घोषित किया गया।

(अरुण कुमार)
उप जिलाधिकारी / सहायक कलेक्टर (प्र0श्रे0),
सदर, लखनऊ

नकल प्रार्थना-पत्र देने की तिथि: 12/10/12
नकल तैयार करने की तिथि: 18/10/12
नकल जारी करने की तिथि: 18/10/12
प्रतिलिपि शुल्क: 13.00/-
शब्दों की संख्या: 200
प्रतिलिपि कर्ता:
तुलनाकर्ता:
तिथि: 18/10/12

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर,
उप जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट
(सदर) लखनऊ।

5.00
13.00

1057
26/5/8

नकल आदेश दिनांक 2/5/08 द्वारा पारित उपजिलाधिकारी
सदर लखनऊ बाबत वाद संख्या 157/08-09 धारा 143
ZA UR Act डा० राजेन्द्र प्रसाद एजुकेशनल सोसाइटी बनाम
उ०प्र० सरकार ग्राम- उतरधौना परगना व जिला लखनऊ

~ | सत्यापित छायाप्रति संलग्न है प्रयोगार्थ फोलियो सीमा -

न्यायालय उप जिला...

1057
26/5/19

न्यायालय उप जिलाधिकारी / सहा0कलेक्टर(प्र0श्रे0), सदर, लखनऊ।

वाद सं0– 157 / 08–09
डा0 राजेन्द्र प्रसाद एजुकेशनल सोसायटी
बनाम उ0प्र0 सरकार
धारा–143 जे0ए0एल0आर0एक्ट।
ग्राम– उत्तर धौना, परगना,
तहसील व जिला लखनऊ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही डा0 राजेन्द्र प्रसाद एजुकेशनल सोसायटी द्वारा अध्यक्ष श्रीमती ममता श्रीवास्तव निबन्धन संख्या 242 / 2000 कार्यालय एम0एस0 101 सेक्टर डी, अलीगंज लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–143 जे0ए0एल0 आर0एक्ट के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में यह अभिलिखित है कि प्रार्थिनी खसरा संख्या 26 रकबा 0.360 हे0 की मालिक एवं अभिलेखो मे दर्ज है। उक्त भूमि पर सोसायटी द्वारा स्कूल का संचालन हो रहा है एवं आस–पास के इलाके आवासीय भवन के रुप मे एवं आबादी के रुप मे हो गये है। अन्त में प्रार्थिनी द्वारा उक्त भूमि को गैर कृषिक घोषित करने की याचना की गई।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार, सदर, लखनऊ ने अपनी आख्या दिनांक 20.02.2009 में यह कहा गया है कि भूमि गाटा संख्या 26 रकबा 0.360 हे0 प्रार्थिनी के नाम दर्ज है। उपरोक्त भूमि पर चारो तरफ चहरदीवारी बन चुकी है, विद्यालय हेतु कमरे निर्मित हो रहे है। कृषि कार्य नही किया जाता है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य, पशु पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन व वृक्षारोपण आदि नहीं किया जाता है। भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की नही है। लखनऊ महानगर योजना – 2021 मे भूमि का भू–उपयोग आवासीय / आकृषिक दर्ज है। नियम 135(6) के अनुसार शुल्क जमा कर निर्मित क्षेत्रफल की पैमाइश की गई है। गैर कृषिक प्रयोजन घोषित करने हेतु आख्या संस्तुति सहित अग्रसारित है।

वाद दर्ज रजिस्टर पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों / साक्ष्यों एवं तहसीलदार सदर की आख्या का विधिवत अवलोकन व परिशीलन किया गया और प्रार्थिनी की मौखिक बहस को सुना गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य

21/5/19

1057
26/5/9

र्तमान समय में नहीं किया जा रहा है बल्कि प्रश्नगत भूमि का उपयोग अकृषिक रूप में किया जा रहा है, ऐसी दशा में मौके पर भूमि का उपयोग गैरकृषिक होने के कारण उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

आदेश

अतः प्रश्नगत भूमि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार, सदर की आख्या दिनांक 20.02.2009 की पुष्टि की जाती है। तहसीलदार, सदर की आख्या दिनांक 20.02.2009 आदेश का अंग होगा। तद्नुसार ग्राम– उत्तर धौना पर0, तह0 व जिला लखनऊ की गाटा संख्या 26 रकबा 0.360 हे0 को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। अभिलेखों में अमल–दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर, लखनऊ को व आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, लखनऊ को भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(महेन्द्र सिंह)
उप जिलाधिकारी / सहा0कलेक्टर(प्र0श्रे0)
सदर, लखनऊ।

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 02/05/09 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उप जिलाधिकारी / सहा0कलेक्टर(प्र0श्रे0)
सदर, लखनऊ।

नकल प्रार्थना-पत्र देने की तिथि: 26/5/09
नकल तैयार करने की तिथि: 26/5/09
नकल जारी करने की तिथि: 28/5/09
प्रतिलिपि शुल्क: 13-00
शब्दों की संख्या: 1500 मात्र
प्रतिलिपि कर्ता:
तुलनाकर्ता:
तिथि: 26/5/09

प्रमाणित प्रतिलिपि
28/5/09
उप जिलाधिकारी/निबन्धक
(सदर) लखनऊ।